खाद्य एवं रसद विभाग के 4 आदेश समाप्त

लखनऊ। राज्य सरकार ने खाद्य एवं रसद विभाग के 4 निष्प्रयोज्य आदेशों को समाप्त करने फैसला किया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीना ने बताया कि यूपी ब्रिक्स कंट्रोल ऑर्डर 1971, यूपी सीमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1973, यूपी कोल कंट्रोल ऑर्डर 1977 तथा यूपी एसेंसियल कमोडिटीज (डिस्प्ले ऑफ प्राइसेस एंड स्टॉक एंड कंट्रोल ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 1977 निष्प्रयोज्य थे। लिहाजा इन्हें हटाने का प्रस्ताव रखा गया था जिसे कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया। इनके समाप्त होने से राज्य में निवेश प्रोत्साहन की संभावना बढ़ेगी तथा जनसामान्य के लिए सुविधा होगी। ब्यूरो